

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों?

- 12 मई, 2023 को हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को किसान हितैषी बनाने के लिये खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक लागू करने हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए, जिससे योजना को प्रदेश के लोगों के लिये अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया जा सके।
- बैठक में तकनीकी के प्रयोग को महत्त्व देते हुए तकनीकी समर्थन हेतु हरसैक को विभाग का तकनीकी भागीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा आगामी सत्र के लिये जारी होने वाले टेंडर में किसानों की शिकायतें पोर्टल के माध्यम से लेने का प्रावधान किया जाएगा।
- योजना की पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की वडियोग्राफी तथा स्थानीय आपदा के सर्वे/फसल कटाई प्रयोगों में आपत्ता करने का समय 72 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तथा बीमा कंपनी के लिये 48 घंटे से बढ़ाकर 96 घंटे करने की सफारिश की।
- इस बैठक में योजना के तहत सम्मिलित फसलों की बीमिति राशि भी तय की गई। जिसका विवरण प्रकार निम्न दिया गया है:&

राशि रुपए प्रति हेक्टेयर							
खरीफ				रबी			
फसल	2023-24	2024-25	2025-26	फसल	2023-24	2024-25	2025-26
धान	96371	101190	106249	गेहूँ	72896	76541	80368
बाजरा	46456	48779	51218	सरसों	48927	51373	53942
मक्का	49421	51892	54487	जौ	46456	48779	51218
कपास	98595	103525	108701	चना	35830	37682	39503
मूंग	43243	45405	47675	सूरजमुखी	49421	51892	54487